

‘अपराध से न्याय तक...’ का सिद्धांत 10 मॉडल में लाइव डेमो दिखेगा

जयपुर में “नए आपराधिक कानूनों” पर भव्य प्रदर्शनी आज से शुरू होगी, 18 तक जारी रहेगी

जयपुर (कास)। देश में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर राजधानी जयपुर में 13 अक्टूबर से एक भव्य व आकर्षक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा।

इस विशेष दिन यानी 13 अक्टूबर को प्रवेश केवल आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही होगा, जबकि 14 से 18 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन व हितधारक बिना आमंत्रण पत्र के इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे।

इस प्रदर्शनी में न्यायिक प्रक्रिया को 10 अलग-अलग ज़ोन या मॉडल में विभाजित किया गया है। जहाँ आगंतुकों को अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की पूरी यात्रा का लाइव डेमो दिखाया जाएगा।

प्रदर्शनी का लेआउट न्याय प्रथम के सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसने न्याय प्रणाली की जटिलताओं को सरल और सुलभ बना दिया।

प्रदर्शनी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति विशेषण विद्यार्थी आसानी से समझ सके कि नए कानूनों के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग कैसे काम करता है।

(चरण 1) शिकायत और जांच का आरंभ

मॉडल 1: कंट्रोल रूम : यहाँ यह दिखाया गया कि डायल 112 जैसे आपातकालीन नंबर पर कॉल कैसे प्राप्त होता है और पुलिस कैसे तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यह पुलिस की तत्परता और संचार प्रणाली को दर्शाता है।

मॉडल 2: सीन ऑफ़ क्राइम : इस मॉडल में, एक अपराध स्थल की प्रतिकृति बनाई गई थी। यहाँ फ़ोरेंस साइंस टीमों को साक्ष्य एकत्र करते



हुए लाइव दिखाया गया, जिसमें वीडियोग्राफी की अनिवार्यता पर जोर दिया गया।

मॉडल 3: पुलिस स्टेशन : यह ज़ोन ई-एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को दर्शाता था, जिससे आम नागरिकों को यह समझने में मदद मिली कि शिकायत दर्ज करना अब कितना सरल और पारदर्शी हो गया है।

(चरण 2) वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन

मॉडल 4: हॉस्पिटल : इस मॉडल ने चिकित्सा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पीड़ितों की मेडिकल जांच और कानूनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया दिखाई गई, जिसे नए कानूनों के तहत समयबद्ध और डिजिटल रूप से करना अनिवार्य है।

मॉडल 5 एफएसएल : यह प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहाँ वैज्ञानिक साक्ष्यों के विवेचरण की प्रक्रिया को समझाया गया। यहां

दर्शाया गया कि कैसे अनिवार्य एफएसएल जांच वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित दोषसिद्धि दर को बढ़ाने में मदद करती है।

मॉडल 6: पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस : एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद यहाँ यह दिखाया गया कि अभियोजन विभाग कैसे सबूतों और चार्जशीट की समीक्षा करता है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार करता है।

(चरण 3) न्याय और सुधार

मॉडल 7: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट : इस मॉडल में एक अदालत की कार्यवाही का डेमो दिया गया।

यहाँ पर समयबद्ध दायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति को दर्शाया गया, जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है।

मॉडल 8: प्रिजन : इस ज़ोन ने जेल सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ जेल प्रबंधन के डिजिटलीकरण और कैदियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को दिखाया गया, जो दंड के बजाय सुधार पर जोर देते हैं।

मॉडल 9: हाईकोर्ट : यह ज़ोन उच्च न्यायिक

अपील और समीक्षा की प्रक्रिया को दर्शाता है जो मामले के अंतिम चरण की ओर ले जाता है। **मॉडल 10: नए आपराधिक कानूनों का संक्षिप्त विवरण** : अंतिम ज़ोन में तीनों नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों जैसे कि ई-एफआईआर, सामुदायिक सेवा और भगोड़े अपराधियों के ट्रायल को सरल भाषा में समझाती हुई जानकारी दी गई। इसमें पुराने और नए कानून के बारे में भी पूरी व्याख्या की गई है।

यह प्रदर्शनी विशेष रूप से विद्यार्थियों, महिलाओं, अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारियों और नागरिक संस्थाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन्हें प्रदर्शनी में आकर अपराध से लेकर न्याय तक की पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक दुर्लभ अवसर मिलेगा।

प्रदर्शनी से पब्लिक को मिलेगा सीधा लाभ

प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को न्याय प्रणाली में हुए बड़े बदलावों से परिचित कराना है। पब्लिक को वहाँ आकर तीन बड़े और सीधे फायदे मिले: नागरिक देख पाएंगे कि ई-एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर जैसे प्रावधानों से शिकायत दर्ज कराना कितना आसान हो गया है, पुलिस और कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलती है।

प्रदर्शनी ने जोर दिया कि अब मामलों के निपटारे के लिए सख्त समय-सीमा है। जहां लोगों को यह आश्वासन मिला कि उन्हें न्याय पाने के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रणाली समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। संक्षेप में आमजन को यह पता चलेगा कि भारत की न्याय प्रणाली अब नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और आधुनिक बन चुकी है।

सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करेगा हैरिटेज निगम

जयपुर। हैरिटेज निगम क्षेत्र में दीवाली को लेकर सड़क और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने रविवार को सफाई व्यवस्था को लेकर परकोटे के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परकोटे क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन भी किया।

निगम आयुक्त ने जौहरी बाजार, घी वालों का रास्ता, बापू बाजार, सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़, किशनपोल बाजार में सड़क पर किए जा रहे पेचवर्क कार्य को देखा, इस दौरान उन्होंने किशनपोल ज़ोन के इंजीनियर विंग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बाजारों में कुछ स्थानों पर ओपन कचरा डिंपो को पूर्णतः खत्म करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि शहर में दीवाली को लेकर बाजार सजाए जा रहे हैं। दूर देश से देशी विदेशी पर्यटक भी शहर का दीदार करने आ रहे हैं। ऐसे में हैरिटेज निगम की ओर से सभी तैयारियां समय पर कर ली जाएंगी। लाइट व्यवस्था, सोबर, सड़क पेचवर्क और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ज़ोन उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक को पाबंद करें और समयबद्ध कार्य पूरा करें।



जयपुर के कांस्टीट्यूशनल क्लब में रविवार को प्रदेश का पहला जूनियर “मॉडल यूनाइटेड नेशन” (एम.यू.एम.) आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 7 से 10 वर्ष तक के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, कूटनीति व राजनीति के विषय में सिखाया गया और बहस करने के तरीके भी बताए गए। यह कार्यक्रम वर्णिका बिनानी अग्रवाल की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें यूनीसेफ राजस्थान में कार्यरत सामाजिक रूपरेखा विशेषज्ञ सक्फात हुसैन भी मौजूद थे।

प्रेमजाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन भी कराया

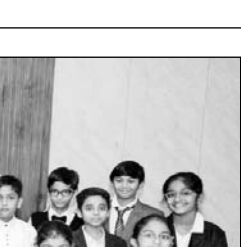
जयपुर। भट्ठा बस्ती थाना इलाके में एक युवती को प्रेम जाल में फंसा कर खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा कर धर्म परिवर्तन करने व दुष्कर्म करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

थानाधिकारी दीपक त्यागी ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाली युवती का आरोप है कि वो प्राइवेट जॉब करती है। ऑफिस के ही सहकर्मी ने उसे प्रेम जाल में फंसा और शादी करने का झांसा दिया।

- कोर्ट के आदेश पर फर्म नारायण ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

विहार,जयसिंहपुरा में ज्ञानचंद्र से 130 गज का प्लॉट खरीथा । इन प्लॉटों के पैसे पीड़ित ने महेंद्र अग्रवाल को दे दिए थे। जिसके बाद प्लाट के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, साइड प्लान पीडित को मिल गए। आरोपी उसके बाद से ही उसे कब्जा देने के नाम से टालता रहा। 30 मई 2025 को पीडित दोबारा जब प्लाट पर कब्जा दिलाने के लिए आरोपियों के पास पहुंचा। तो आरोपियों ने कब्जा देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह प्लाट उन्होंने राकेश राजोरिया को दे दिया है।

जिसके बाद ज्ञानचंद अग्रवाल ने पीडित को प्लॉट के बारे में चर्चा करने पर जान पर जान से मरवाने और बाहर फेंकने की धमकी दी।



इसी दौरान आरोपी ने धर्म परिवर्तन के कागजात दिखाकर उसे पर हस्ताक्षर करवा लिए और शादी का झांसा देकर उसके साथ अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो जाति का वास्ता देकर आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

